

विद्यमान भारत के अन्तर्गत डाक
सुल्क के नाते भुगतान (विना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से
धिलाई, दिनांक 30-5-2001."

सिमा

सूचनाओं रखने के
केन्द्र
26.11.11



प्रकाशन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक-162]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2011—वैशाख 15, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, डा. कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्रमांक 3289/111/21-अ/प्र/छ. प्र./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-05-2011 को
राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, शतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. धरमशर, उप-सचिव

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 मई 2011

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में जहाँ कहीं भी शब्द "उपाचार्य" तथा "व्याख्याता" आया हो, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "सह-आचार्य" तथा "सहायक आचार्य" प्रतिस्थापित किया जाये.
3. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जावे; अर्थात् :-
 - (2) चयन समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :
 - (एक) कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे;
 - (दो) विश्वविद्यालय के विद्या-परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नाम निर्देशित संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञ;
 - (तीन) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष, जहाँ भी लागू हो;
 - (चार) विभाग के अध्यक्ष, यदि वह विभाग में आचार्य का पद धारण करता हो;
 - (पांच) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित एक शिक्षाविद्;
 - (छः) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों/भिन रूप में योग्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद् जिसे कुलपति या कार्यकारी कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा। चयन समिति का उपरोक्त बोर्ड भी सदस्य इन वर्गों से संबंधित न हो।

मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (3) में शब्द "तीन सदस्य" का अर्थ "चार सदस्य" जिसमें दो बाह्य विषय विशेषज्ञ शामिल हो." प्रतिस्थापित किया जाये.

CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2011)

THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty second year of the Republic of India, as follows :—

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>(1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2011.</p> <p>(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.</p> <p>(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.</p> | <p>Short title, extent and commencement.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

<p>In the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "Reader" and "Lecturer", wherever they occur, the words "Associate Professor" and "Assistant Professor" shall be substituted respectively.</p>	<p>Amendment of the Act.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<p>For sub-section (2) of Section 49 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :—</p>	<p>Amendment of Section 49.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(2) The members of the committee of selection shall be :</p> <p>(i) The Kulapati shall be Chairman of the Selection Committee;</p> <p>(ii) Three experts in the concerned subject nominated by the Kulapati out of the panel approved by the Academic Council of the University;</p> <p>(iii) Dean of the concerned faculty, wherever applicable;</p> <p>(iv) Head of the Department if he/she holds the post of Professor in the Department;</p> <p>(v) An academician nominated by the Kuladhipati;</p> <p>(vi) An academician representing Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Minorities/Differently-abled categories to be nominated by the Kulapati or acting Kulapati, if any of the above members of the Selection Committee does not belong to that category.</p> | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

4. In sub-section (3) of Section 49 of the Principal Act, for the words "Three members" the words "Four members including two outside subject experts" shall be substituted.